



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:22342

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामला संख्या 1424 सन् 2026

रजनीश कुमार त्रिपाठी एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

दीवानी न्यायाधीश मलिहाबाद (वरिष्ठ प्रभाग) लखनऊ एवं 8 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनिल कुमार गुप्ता, श्रीमती रुचि गुप्ता

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार गुप्ता की बात सुनी गई।
2. प्रस्तावित आदेश के आलोक में निजी प्रतिवादियों को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2023 में दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), लखनऊ के न्यायालय में प्रतिवादियों के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दीवानी वाद दायर किया है, जो नियमित वाद संख्या 676 सन् 2023 और 377 सन् 2023 के रूप में पंजीकृत है। उक्त कार्यवाही में वाद संख्या 676 सन् 2023 - रजनीश कुमार त्रिपाठी बनाम निशा दीक्षित के अंतर्गत प्रतिवादियों के विरुद्ध 29.05.2025 को अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश भी पारित किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. यह प्रस्तुत किया गया है कि इसके बाद, प्रतिवादियों ने पेशी की है और दीवानी न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को रद्द करने की प्रार्थना भी की है तथा आदेश 9 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उनका आवेदन भी 09.10.2025 को खारिज कर दिया गया है।

5. यह प्रस्तुत किया गया है कि इसके बाद प्रतिवादियों ने स्वयं याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की घोषणा की मांग करते हुए नियमित वाद संख्या 2660 सन् 2025 दायर किया है, जो दीवानी न्यायाधीश, हवेली (कनिष्ठ श्रेणी), लखनऊ के न्यायालय में उसी संपत्ति के संबंध में दायर किया गया है जो याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर वाद का विषय है।

6. यह निवेदन किया गया है कि वाद संख्या 260 सन् 2025 में न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया गया है। निवेदन किया गया है कि निषेधाज्ञा प्राप्त करने में असफल होने पर उन्होंने दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), मलिहाबाद, लखनऊ के न्यायालय में वाद संख्या 2160 सन् 2025 - रायेश बानो बनाम श्रीमती रंजीता सिंह और 8 अन्य, दायर किया है। वाद संख्या 2160/2025 में प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में 01.10.2025 को एकतरफा निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया है और उक्त कार्यवाही में याचिकाकर्ताओं ने उपस्थित होकर आदेश 39 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक आवेदन भी दायर किया है, जो विचाराधीन है।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि इस याचिका में उठाई गई शिकायत इस तथ्य से संबंधित है कि याचिकाकर्ताओं ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश, लखनऊ के समक्ष स्थानांतरण हेतु एक आवेदन दिया था, जिसे दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), मलिहाबाद, लखनऊ के न्यायालय से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में वाद संख्या 2160/2025 के स्थानांतरण हेतु विविध वाद संख्या 1068/2025 के रूप में पंजीकृत किया गया था। उक्त आवेदन 18.11.2025 को दायर किया गया था। उक्त

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदन के लंबित रहने के दौरान ही दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), मल्लिहाबाद, लखनऊ ने आदेश 39 नियम 1 और 2 के अंतर्गत 02.01.2026 को आवेदन पर निर्णय लिया, जिसे याचिकाकर्ताओं ने इस रिट याचिका में चुनौती दी है।

8. याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया एकमात्र आधार यह है कि स्थानांतरण आवेदन लंबित रहने के दौरान दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), मल्लिहाबाद, लखनऊ को उक्त आवेदन पर निर्णय लेने से स्वयं को रोकना चाहिए था। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि इसके बाद, 09.01.2026 को स्थानांतरण आवेदन स्वीकार कर लिया गया और वाद संख्या 2160/2025 दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), मल्लिहाबाद, लखनऊ के न्यायालय से दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), लखनऊ के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

9. यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल यही आधार दिया गया है कि एक बार स्थानांतरण आवेदन दाखिल हो जाने के बाद दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), मल्लिहाबाद, लखनऊ को मामले की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ानी चाहिए थी और मामले की कार्यवाही पर रोक लगा देनी चाहिए थी।

10. याचिकाकर्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए यह पाया गया कि स्थानांतरण हेतु आवेदन याचिकाकर्ताओं द्वारा 18.11.2025 को दायर किया गया था और यह आवेदन दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), मल्लिहाबाद, लखनऊ के समक्ष लंबित रहा, लेकिन इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि धारा 24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर आवेदन में जिला न्यायाधीश द्वारा दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), मल्लिहाबाद, लखनऊ के समक्ष मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), मल्लिहाबाद, लखनऊ के समक्ष कार्यवाही में याचिकाकर्ताओं ने उपस्थित होकर आवेदन 6 गा का विरोध किया, जिसे दिनांक 21.01.2026 के विवादित आदेश में विधिवत दर्ज किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. तदनुसार, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जिला न्यायाधीश, लखनऊ ने दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), मलिहाबाद, लखनऊ के समक्ष कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई थी, इसलिए विचरण न्यायालय के पास उनके समक्ष लंबित आवेदन की सुनवाई स्थगित करने का कोई अवसर नहीं था।

12. यह भी देखा गया है कि केवल स्थानांतरण आवेदन दाखिल करने से मुकदमे की कार्यवाही स्थगित नहीं होती है। आवेदकों के लिए यह हमेशा खुला रहता है कि वे उस न्यायालय में लंबित अपने अंतरिम राहत आवेदन को आगे बढ़ाएं जहां स्थानांतरण के लिए आवेदन किया गया है, और जब तक अधीनस्त न्यायालय को कार्यवाही करने से रोकने के आदेश पारित नहीं किए जाते, तब तक अधीनस्त न्यायालय को लंबित आवेदनों या यहां तक कि मुकदमे पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने से रोकने का कोई प्रावधान नहीं है।

13. उपरोक्त के अलावा, न्यायालय पाता है कि मुकदमे की कार्यवाही में प्रतिवादी उपस्थित हुए और उन्हें विधिवत सुना गया। इसलिए, जब याचिकाकर्ता स्वयं उपस्थित होकर आदेश 39 नियम 1 और 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन का विरोध कर चुके हैं, तो स्थानांतरण आवेदन लंबित होने के आधार पर इसे रद्द नहीं किया जा सकता।

14. इस न्यायालय का यह मत है कि यदि बाद में 09.01.2026 को स्थानांतरण आवेदन स्वीकार भी कर लिया जाता है, तो उक्त आदेश 02.01.2026 को पारित पूर्व आदेश की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। याचिकाकर्ताओं द्वारा 02.01.2026 के आदेश को चुनौती देने के लिए कोई अन्य आधार नहीं दिया गया है।

15. उपरोक्त के आलोक में, इस न्यायालय को याचिकाकर्ताओं के तर्कों में कोई योग्यता नहीं मिलती है, जिसके कारण दिनांक 02.01.2026 के विवादित आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना आवश्यक हो।

16. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका योग्यताहीन होने के कारण **खारिज** की जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति आलोक माथुर)

मार्च 31, 2026

ए. वर्मा

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।